



OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

9893076404

Ramayan Prasad Verma joining Letter

कार्यालय सचिव जनभागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक 93/2022
प्रति.

अनूपपुर, दिनांक 19.01.2022

नाम - श्री रामप्रसाद वर्मा
पिता/पति - श्री रामचंद्र वर्मा
पता - आनंद नगर, बोधा बाग रीवा म.प्र.

विषय-अतिथि विद्वानों को सत्र 2021-22 के लिए आमंत्रण।
संदर्भ:-1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा-2/21 भोपाल दिनांक 30.06.2021
2.पत्र क्र.483/166/आईटी/आउशि/2021, भोपाल दिनांक 11.11.2021

विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त सदमित पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विषय अतिथि वृत्ति शक्ति में व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है।

यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:-

1. यह आमंत्रण सत्र 2021-22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीडाधिकारी की पदस्थापना/नियुक्ति होने तक के लिए होगा।
2. आपको महाविद्यालय में तीन दिवस के अंदर (कार्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा।
3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त दूरदूरस्थ, रेमोडिलय क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि जा सकती है।
4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कडिका 5.1 के अनुसार होगा।
5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जावेगा।
6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होंगी।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

पृ.क्र. / 94 / 2022
प्रतिलिपि-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग रीवा म.प्र।
2. कार्यालयीन प्रति।

o/c

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

PRINCIPAL 19.01.2022
जनभा. शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर
Distt. Anuppur (M.P.)
अनूपपुर, दिनांक 19.01.2022

PRINCIPAL 19.01.2022
जनभा. शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर
Distt. Anuppur (M.P.)